UPSR010004092026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार प्रजापति),

उच्चतर न्यायिक सेवा, आई०डी० नं० – UP06330

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–147/2026

कुन्नू लाल पुत्र हरीप्रसाद, उम्र करीब 44 वर्ष, निवासी ग्राम घोलिया, दा० शिवगढ़ खुर्द, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती। ------ प्रार्थी/अभियुक्त ।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ---------- अभियोगी।

अपराध संख्या– 09/2026

धारा–238, 239, 241, 61 बी०एन०एस०

थाना– सिरसिया, जनपद श्रावस्ती।

दिनांक 16.03.2026

<u>निस्तारण अग्रिम जमानत आवेदन पत्र</u>

1– यह अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियुक्त कुन्नू लाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपर्युक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जुमई, चौकीदार द्वारा थानाध्यक्ष सिरसिया को दिनांक 02.01.2026 को सांयकाल 04 बजे सूचना मिली कि उसके ही गांव सभा के रहने वाले पंचूराम वर्मा की लड़की सुनीता उम्र करीब 18 वर्ष, के गले में आज सुबह 3–4 बजे करीब अज्ञात लोगों द्वारा नुकीला वस्तु को घुसाकर हत्या कर दी गयी है। अतः रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की याचना है।

3– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र में कहा गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ अथवा अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अन्य किसी भी सत्र न्यायालय पर अभियुक्त का कोई भी अग्रिम जमानत आवेदन विचाराधीन नहीं है, न ही निरस्त हुआ है। अभियुक्त को विवेचक द्वारा फर्जी व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर प्रकाश में लाया गया है। अभियुक्त का

Digitally signed by AMIT KUMAR PRAJAPATI
Date: 2026.03.16 15:14:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

घर मृतका के घर से काफी दूर है। उक्त घटना में अभियुक्त का कोई विशिष्ट रोल नहीं है। पुलिस ने धन उगाही के उद्देश्य से घटना के दिन से ही थाने में 7 से 10 दिन तक बैठाए रखा और गलत तरीके से उसके विरुद्ध जुर्म आयद कर दिया। अभियुक्त की मृतका चचेरी बहिन थी। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त अपराध के घटना के क्रम में सह अभियुक्त की जमानत न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2026 को स्वीका की जा चुकी है। अभियुक्त बी०पी० व शुगर का मरीज है। उसकी उंगलिया भी उक्त बीमारी के चलते काट दी गई हैं। अभियुक्त को आशंका है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अभियुक्त जमानत मिलने के बाद जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा जांच व विचारण में सहयोग करेगा व किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा तथा अग्रिम जमानत के सभी शर्तों का पूर्णतयः पालन करेगा। अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने की याचना है।

4– विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त द्वारा गवाहों को प्रभावित करने तथा उन पर दबाव बनाने की प्रबल आशंका है। मामला गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस द्वारा लगातार उनकी खोज की जा रही है, किन्तु उसका पता नहीं चल रहा है। अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना है।

5– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पुलिस प्रपत्रों एवं आख्या का अवलोकन किया।

6– पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी है कि दिनांक 02.01.2026 को समय 4 बजे सांयकाल किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतका सुनीता के गले में कोई नुकीली वस्तु घुसाकर हत्या कर दी गयी है। अभियुक्त का यह कथन है कि अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार करना चाह रही है तथा लगातार उसे ढूंढ रही है। यदि विवेचक द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वह अपना पक्ष साबित नहीं कर पायेगा। सह अभियुक्त की अग्रिम जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त द्वारा अपना घर मृतका के घर से काफी दूर होना तथा मृतका को अपनी चचेरी बहन बताया गया है तथा घटना में संलिप्तता से इंकार किया गया है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि मामले में विवेचना प्रचलित है, जिससे पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने

की आशंका युक्ति–युक्त है। अभियुक्त जमानत पर रहकर विवेचना में सहयोग करने को तैयार है।

7– अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना मामले के गुण–दोष पर टिप्पणी किये अभियुक्त की गिरफ्तारी का आशंका को देखते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

8– अभियुक्त **कुन्नू लाल** की ओर से अपराध संख्या– 09/2026, अंतर्गत धारा– 238,239,241,61 बी०एन०एस०, थाना– सिरसिया, जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है–

(I)– यह कि अभियुक्त पुलिस अधिकारी द्वारा तलब किये जाने पर पूंछताछ के लिये उपस्थित रहेगा।

(II)– यह कि अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस मामले के तथ्यों की जानकारी है, उसे न्यायालय में या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से, न रोकेगा, न धमकी देगा, न डरायेगा, न कोई वादा करेगा।

(III)– यह कि अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के भारत से बाहर नहीं जायेगा।

(IV)– यह कि अभियुक्त किसी भी साक्षी डरायेगा या धमकायेगा नही।

(V)– यह कि अभियुक्त न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित रहेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की स्थिति में, अभियुक्त के द्वारा पचास हजार रुपये का स्व बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू एवं उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन हेतु अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया जायेगा।

आदेश की एक–एक प्रति क्रमशः पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती तथा सम्बन्धित थाना प्रभारी को सूचनार्थ प्रेषित किया जाये।

दिनांक 16.03.2026

(अमित कुमार प्रजापति)

अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती।